

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

कैनिंग अवार्ड न्यूज़ीलैंड

बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 1999 (मार्च 28, 1926)

समय 10.30 बजे तिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

2. प्रश्नोत्तर

पुष्टकस्त: वितरित सूची में सम्पर्कित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन व्यान आवर्धन

(1) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, विद्या जिले की कुरवाई की पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का व्यान आवर्धित करेंगे।

(2) श्री प्रेमचन्द युहू, सदस्य, इंडीर-साविर मार्ग पर स्थित रामा फॉस्पेन्ट लिमिटेड के प्लाट में पांच अभियांत्रियों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री ग्रम का व्यान आवर्धित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री माधव सिंह धुव, सदस्य, कुर्हा जिले के मङ्कापापरा जलाशय का कार्य पूर्ण कराये जाने,

(2) तुंबर अशोक दीर विक्रम सिंह, सदस्य, पछा जिले के गाम व्यामिरी से सभागांग (सतना जिला) मार्ग के हरकुआ छाट पर सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(3) श्री सईद अहमद, सदस्य, सतना शहर स्थित -

(क) इन्डियन आयल कम्पनी का डिपो अन्यत्र स्थानांतरित कराये जाने, एवं
(ख) बस स्टेन्ड से ग्राम उच्चा टोला तक स्कैक्स बायपास रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. वर्ष 1998-99 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1998-99 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

6. वायवीय विभिन्न विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, लेसवीय कार्य मंत्री, अड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 2 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

के.पी. शिवानी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

ओफिस :

दिनांक : 16 फरवरी, 1999